

जिला सेनानी नगर सेना एवं जिला अग्निशमन अधिकारी दुर्ग, छत्तीसगढ़

क्रमांक / ८८७ / फायर सर्विस / २०२० दुर्ग, दिनांक १४/०९/२०२०

-: अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती प्रशान्त कुमार (प्राचार्य) के आमदी नगर हुड़को, भिलाई में स्थित डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल का इस विभाग के कनिष्ठ तकनिकी अग्निशमन अधिकारी श्री माईकल सेन्टियागो द्वारा श्री प्रशान्त कुमार की उपस्थिति में दिनांक १४.०९.२०२० को राष्ट्रीय भवन सहिता भाग-IV के अनुसार अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की आवश्यकता संबंधित निरीक्षण किया गया। निम्न शर्तों के अधीन ०१ वर्ष की अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

शर्ते

- १ सभी अग्नि सुरक्षा यंत्र/प्रणाली एवं निकास द्वारा व्यावधान रहित चालू हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।
- २ अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात् भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो प्रमाण-पत्र को निरस्त माना जायेगा।
- ३ अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाये एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का मॉकड्रिल कर इसका रिकार्ड बनाकर रखा जाए।
- ४ देसमेट का उपयोग करने में विलिंग बाय लाज का कडाई से पालन किया जाए।
५. मकान मालिक/कब्जाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।

जारी दिनांक १४-०९-२०२०

जिला अग्निशमन अधिकारी का हरताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी का हरताक्षर